न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरवा, उन्नाव।

परिवाद सं०:– 1778/2024

मो० उमर खाँ बनाम एहसानुल हक।

अन्तर्गत धाराः– 504, 506 भा०दं०सं०।

थानाः– पुरवा, जिलाः– उन्नाव।

दिनांकः– 04/06/2026

पत्रावली पेश हुयी। परिवादी उपस्थित है।

परिवादी मो० उमर खां द्वारा एक प्रार्थनापत्र वास्ते परिवाद वापस लिये जाने हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि "अभियुक्त की पुत्री उमरा खान की शादी परिवादी के पुत्र मो० इरफान खां के साथ दिनांक 17.11.2019 को हुयी थी। शादी के बाद मो० इरफान खां व उसकी पत्नी उमरा खान के दरिम्यान काफी नातिकाकियां एवं पति पत्नि के रिश्तो में काफी दूरियां उत्पन्न हो जाने पर दोनो के मध्य पति पत्नी के सम्बन्ध को खत्म करने और तलाक लेने व देने की इच्छा और सहमति हुयी थी तथा उक्त दोनो फरीकैन ने इस बाबत लिखित रूप से सुलह समझौता कर लिया है। श्रीमती उमरा खान ने अपने पति मो० इरफान खां एवं अपने ससुराली लोगो के विरूद्ध थाना बीघापुर जिला उन्नाव में प्रथम सूचना रिपोर्ट 0056/2024 धारा 354/323/504/506 I.P.C में पंजीकृत करवायी थी तथा पुलिस/विवेचक द्वारा आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किये जाने के बाद उसकी सुनवाई न्यायालय श्रीमान सिविल जज (जू०डि०), एफ. टी०सी० महिलाओं के विरूद्ध अपराध, उन्नाव के न्यायालय में फौ० मु० नं0 889/2025 धारा 498A/323/504/504/354 मा० दं० सं० व 3/4 डी०पी० एक्ट के तहत की जा रही थी। उक्त मो० इरफान खां ने उपरोक्त दोनो फरीकैन के मध्य हुये सुलह समझौता के आधार पर **माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्ड पीठ लखनऊ में APPLICATION U/S–482 NO 560/2026 याचिका दायर की थी, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.01.2026 को आदेश पारित करके अपराध सं० 56/2024 फौ० मु०नं० 889/2025 धारा 498A/323/504/506 I.P.C एवं धारा 3/4 D.P. ACT थाना बीघापुर जिला उन्नाव, की बाबत न्यायालय में की जा रही कार्यवाही को निरस्त करने के आदेश पारित किया, जिसे न्यायालय श्रीमान् सिविल जज (जू०डि०), एफ० टी० सी०, महिलाओं के विरूद्ध अपराध, उन्नाव की अदालत में दाखिल किये जाने पर न्यायालय श्रीमान ने दिनांक 20.01.2026 को आदेश पारित करके उक्त फौ० मु०नं० 889/2029 की कार्यवाही समाप्त कर दी है।**चूंकि उपरोक्त परिवाद के अभियुक्त एहसानुल हक उक्त श्रीमती उमरा खान के पिता है तथा उपरोक्त फरीकैनो के मध्य सुलह समझौत हो जाने के बाद और न्यायालय श्रीमान् सिविल जज (जू०डि०), एफ० टी० सी० महिलाओं के विरूद्ध अपराध उन्नाव में चल रही कार्यवाही समाप्त हो जाने के बाद अब फरीकैनो के मध्य कोई विवाद शेष नहीं रह गया है। इस कारण परिवादी उक्त परिवाद को वापस लेना चाहता है, जिसकी बाबत न्यायालय श्रीमान् द्वारा अनुमति प्रदान किया जाना कानूनी दृष्टिकोण से जरूरी है।"

पत्रावली के अवलोकन से दर्शित होता है कि परिवादी मो० उमर खां की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वयं यह कथन किया गया कि अब पक्षकारों के मध्य सुलह हो गयी है तथा परिवादी अब मुकदमा लड़ना नहीं चाहता है और परिवाद वापस लेने का निवेदन किया गया है। अतः प्रश्नगत मामले में पक्षकारों के मध्य सुलह समझौता हो जाने के कारण परिवादी का परिवाद सीआर०पी०सी० की धारा 257 के तहत वापस किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

परिवाद मो० उमर खाँ का परिवाद अन्तर्गत धारा 257 सीआर०पी०सी० वापस हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः– 04/06/2026

(हिमानी गौतम)
आई०डी० यू०पी० 4850
न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरवा, उन्नाव।